मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 189/2021

निर्णय दिनांक :– 16-11-21

उनवानी

1. रूपा कुमार पुत्र फूलचंद जाति, घलेश
2. महेन्द्र आदि ..... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

.....**प्रतिवादी**

दावा बाबत घोषणात्मक

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से स्वयं ..... की एवं प्रतिवादी सं. की ओर से **तहसीलदार बुहाना** की उपस्थिती में आज तारीख 16-11-21 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम घलेश के खाता संख्या 159 में विमला पुत्री फूलचंद के स्थान पर रूपा पुत्री फूलचंद एवं लाली पुत्री फूलचंद के स्थान पर सन्तोष पुत्री फूलचंद पुकारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि अनुपालन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे"

पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16-11-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प घलेश के मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:05:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)